बिहार सरकार
कृषि विभाग

पटना, सू०, कृ० दिनांक. 23.01.2019

!! अधिसूचना !!

संख्या– 5 वि० 05/2018 62 /फसलों के अवशेष को खेतों में न जलाने तथा फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों तथा आमजन के बीच जागरूकता हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कार्य समूह के गठन किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त होने की स्थिति में इस कार्य समूह की अध्यक्षता विकास आयुक्त, बिहार द्वारा की जायेगी।

2. अंतर्विभागीय कार्य समूह में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

I.	कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार पद रिक्त होने पर विकास आयुक्त, बिहार	–	अध्यक्ष
II.	प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	–	सदस्य
III.	प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग	–	सदस्य
IV.	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	–	सदस्य
V.	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग	–	सदस्य
VI.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
VII.	सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	–	सदस्य
VIII.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य
IX.	सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	–	सदस्य
X.	कृषि निदेशक	–	सदस्य
XI.	निदेशक, प्रसार शिक्षा, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर	–	सदस्य
XII.	निदेशक, प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	–	सदस्य
XIII.	प्रधान सचिव, कृषि विभाग	–	सदस्य सचिव

3. अंतर्विभागीय कार्य एवं दायित्त्व (अनुसूची–1) में संलग्न है। यह कार्य समूह फसल अवशेषों को खेतों में न जलाने के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्विभागीय कार्य योजना हेतु दिशा–निर्देश देगा तथा उनके प्रगति की समीक्षा करेगा।

4. कार्य समूह की बैठक धान फसल की कटाई के समय (अक्टूबर के अंतिम सप्ताह एवं नवम्बर के प्रथम सप्ताह) तथा गेहूँ फसल की कटाई के समय (मार्च के अंतिम सप्ताह एवं अप्रैल के प्रथम सप्ताह) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23.1.2019

(सुधीर कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 5 वि० 05/2018 62 सू०, कृ० दिनांक. 23.01 2019

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.2019

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 5 वि० 05/2018 62 सू०, कृ० दिनांक. 23.01 2019

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23.1.2019

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 5 वि० 05/2018 62 सू०, कृ० दिनांक. 23.01 2019

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/समिति के सभी अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.2019

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 5 वि० 05/2018 62 सू०, कृ० दिनांक. 23.01 2019

प्रतिलिपि– उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

23.1.2019

सरकार के प्रधान सचिव

फसलों के अवशेष (खुट्टी, पुआल, भूसा आदि) को खेतों में न जलाने से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा विभागों का दायित्व

सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि किसानों द्वारा मजदूरों के अभाव में फसलों विशेषकर धान/गेहूँ के कटनी के उपरांत फसल अवशेष (खुट्टी/पुआल/भूसा आदि) को खेतों में ही जला दिया जाता है। किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा कार्य एवं दायित्व की विवरणी निम्न प्रकार से प्रस्तावित है–

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य एवं दायित्व
1.	कृषि विभाग	• जिला में आत्मा एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना। • खेतों में फसल अवशेष को जलाने के बदले खेत की सफाई हेतु बेलर मशीन का प्रयोग, फसल के अवशेष को खेतों में जलाने के बदले वर्मी कम्पोस्ट बनाने, मिट्टी में मिलाने, पलवार (मल्चिंग) विधि से खेती आदि में व्यवहार कर मिट्टी को बचाना आदि, हैप्पी सीडर से गेहूँ की बोआई का प्रत्यक्षण को प्रोत्साहित करना। • पंचायत स्तर पर आयोजित किसान चौपाल तथा कृषि विभाग के अन्य कार्यक्रमों में फसल अवशेष न जलाने के संबंध में किसानों को जागरूक करना। • समय–समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से किसानों को जागरूक करना। • फसल अवशेष न जलाने से संबंधित लघु वृतचित्र तथा रेडियो जिंगल के माध्यम से किसानों को जागरूक करना। • किसान कॉल सेन्टर तथा डी०बी०टी० पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को संदेश भेजना। • कृषि महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में फसल अवशेष न जलाने पर अध्याय तथा कृषि के छात्र–छात्राओं के बीच फसल अवशेष न जलाने पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला आदि का आयोजन। • बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के सहयोग से फसल अवशेष न जलाने विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन मार्च, 2019 में प्रस्तावित।

क्र० सं०	विभाग का नाम	कार्य एवं दायित्व
2.	वन एवं पर्यावरण विभाग	• फसल अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में कार्बन–डाई–ऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड तथा भोलाटाइल ऑर्गेनिक कम्पाउंड की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होता है, जो जलवायु परिवर्तन का एक कारक हो सकता है। इसके प्रति आम जन को जागरूक करना।
3.	स्वास्थ्य विभाग	• ए०एन०एम० एवं आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से फसल अवशेषों को जलाने के कारण मनुष्य विशेष कर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य यथा– श्वास लेने में तकलीफ, आँख, नाक तथा गला में जलन तथा अन्य बीमारियाँ होने की संभावना है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना।
4.	शिक्षा विभाग	• प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चत्तर माध्यमिक के पाठ्यक्रम में फसल अवशेष को खेतों में न जलाने पर अध्याय। • छात्र–छात्राओं के बीच फसल अवशेष न जलाने पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला आदि का आयोजन कराना
5.	ग्रामीण विकास विभाग	• जीविका दीदी तथा मनरेगा कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक करना।
6.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	• पशुपालकों को फसल कटनी के उपरान्त खेतों में अवशेषों तथा खर–पतवार को भेड़ तथा बकरी को खेतों में चराने के लिए जागरूक करना। • भूसा का बेलर मशीन से फॉडर ब्लॉक बनाकर उपयोग करना।
7.	सहकारिता विभाग	• पैक्सों तथा प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से फसल अवशेष के उपयोग पर किसानों को जागरूक करना।
8.	पंचायती राज विभाग	• त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थानों तथा पंचायत सेवकों के माध्यम से फसल अवशेष के उपयोग पर किसानों को जागरूक करना।
9.	सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	• विभिन्न प्रचार–प्रसार तंत्र के माध्यम से फसल अवशेष खेतों में न जलाने हेतु किसानों तथा आमजन को जागरूक करना।